INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

1554/23

Certificate No.	:	IN-UP33961455142601V
Certificate Issued Date	:	13-Feb-2023 06:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14148804/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1414880461830426436299V
Purchased by	:	SHRI PEETAMBARA INFRACITY LLP
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	LAND SIT AT MAUZA SIMARDHA,TEH AND DIST JHANSI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAM SINGH RAJPOOT SO KHUMAN
Second Party	:	SHRI PEETAMBARA INFRACITY LLP
Stamp Duty Paid By	:	SHRI PEETAMBARA INFRACITY LLP
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	65,200 (Sixty Five Thousand Two Hundred only)

सत्यमेव जयते

प्रयुक्त स्टाम्प

IN-UP33961455142601V

Please write or type below this line

रामसिंह

JD 0034769493

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक	–	**प्रारूप 4 कं0को0 0334 के अनुसार 84,00,000/– रूपया प्रति हेक्टेयर पेज नं0 105**
स्टाम्प का कुल योग	–	**65,200/–**
दस्तावेज का प्रकार	–	**बैनामा**
विक्रय मूल्य	–	**8,50,000/–**
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	–	**9,30,000/–**
मौजा	–	**सिमरधा**
ब्लॉक	–	**बड़ागॉव**
मापन की इकाई	–	**हेक्टेयर**
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	**0.1106 हे0**
सड़क की स्थिति	–	किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है
पेड़ों का मूल्यांकन	–	कोई पेड़ नही है।
बोरिंग/कुआँ/अन्य	–	कोई कुआं नही हैं।
प्रथम पक्ष की संख्या	–	**एक**
द्वितीय पक्ष की संख्या	–	**एक (निष्पादक तीन)**

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष – श्री रामसिंह राजपूत पुत्र श्री खुमान निवासी– 9, ग्वालियर रोड, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी (PAN-CJCPS-2669-L) (जिसकी पहचान सं0 XXXX XXXX 2147 से की गई है मो0नं0 7388407354) (पेशा– सेवानिवृत्त)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष – श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी पता जीएस–01, विजन हाईट्स हाउसिंग सोसायटी, ओमशान्ति ग्रीन के सामने, राजघाट कॉलोनी के पास, शिवपुरी रोड, झांसी (PAN-AEQFS-8625-D) द्वारा डायरेक्टर्स

1. श्री पवन कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू निवासी– 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झॉसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 3212 से की गई है मो0नं0 9452230749) (पेशा– व्यापार)

2. श्री अमन मदान पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी– 452/2ए, सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड, शहर व जिला झॉसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 4694 से की गई है मो0नं0 9415057799) (पेशा– व्यापार)

रामसिंह

3. **श्री शशिकान्त द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी– 1054/2ए, खाती बाबा मंदिर, ईसाइटोला, शहर व जिला झॉसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 0376 से की गई है मो0नं0 9935186919) (पेशा– व्यापार)**

सम्पत्ति का विवरण :– अर्द्धनगरीय क्षेत्र की आराजी भूमिधरी वाकै मौजा सिमरधा ब्लॉक बड़ागॉव परगना व जिला झाँसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित आराजी झॉसी–ग्वालियर रोड से दूर यानि किसी भी सवऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है तथा आबादी से 200 मीटर की त्रिज्या से अधिक दूर स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है जो बैनामा का अंश भाग है, विक्रित आराजी व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं, राजस्व अभिलेखों के अनुसार कृषकीय भूमि है जो असिंचित है विक्रित आराजी में कोई पेड, कुंआ आदि़ नही है, वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है विक्रित आराजी विक्रेता ने जरिये बैनामा दिनांक 29–12–1995ई0 श्रीमती मीरा मित्तल पत्नी श्री लक्ष्मीरमण मित्तल से खरीद किया था जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झॉसी में फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड 1458 के पृष्ठ 285/308 पर क्रम संख्या 6104 दिनांक 29–12–1995ई0 दर्ज है। विक्रित आराजी में उ0प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत कोई घोषणा नहीं की गई है। दस्तावेज हाजा में उ0प्र0 सरकार अधिसूचना

रामसिंह

आदेश संख्या सं0वि0क0नि0 –5–2756 / 11–2008– दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार पुरूष द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत 9,30,000 / – पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उपरोक्त सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसके अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

खाता सं0	आराजी नम्बर	रकवा
00340	273	0.332 हे0

कुल 1 किता रकवा 0.332 हे0 का 1 / 3 भाग यानि रकवा 0.1106 हे0 यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है। विक्रित आराजी की सम्पूर्ण चौहद्दी – पूरब – आराजी नं0 274, पश्चिम – आराजी नं0 270, उत्तर– आराजी नं0 260 व 261, दक्षिण – आराजी नं0 272 है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नही है।

विक्रय मूल्य – **8,50,000 / – आठ लाख पचास हजार रूपया जरिये RTGS UTR No. KKBKR52023020900741039 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांक 09.02.2023ई0 पूर्व प्राप्त कर लिया है।**

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य } – **9,30,000 / – नौ लाख तीस हजार रूपया से अधिक नहीं हैं।**

रामसिंह

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है, चूँकि मुझ विक्रेता को रूपयों की जरूरत है। अतः मैं विक्रेता उक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वदस्त क्रेता उपरोक्त कतई वय व फरोख्त करता हूँ। कब्जा दखल मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को मौके पर बखूवी करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काश्त करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करावें, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें, आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा या मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स मिलकीयत की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य पूरे–पूरे वर्णित किये गये हैं विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नहीं है और न ही किसी बैंक या विभाग में बंधक है। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

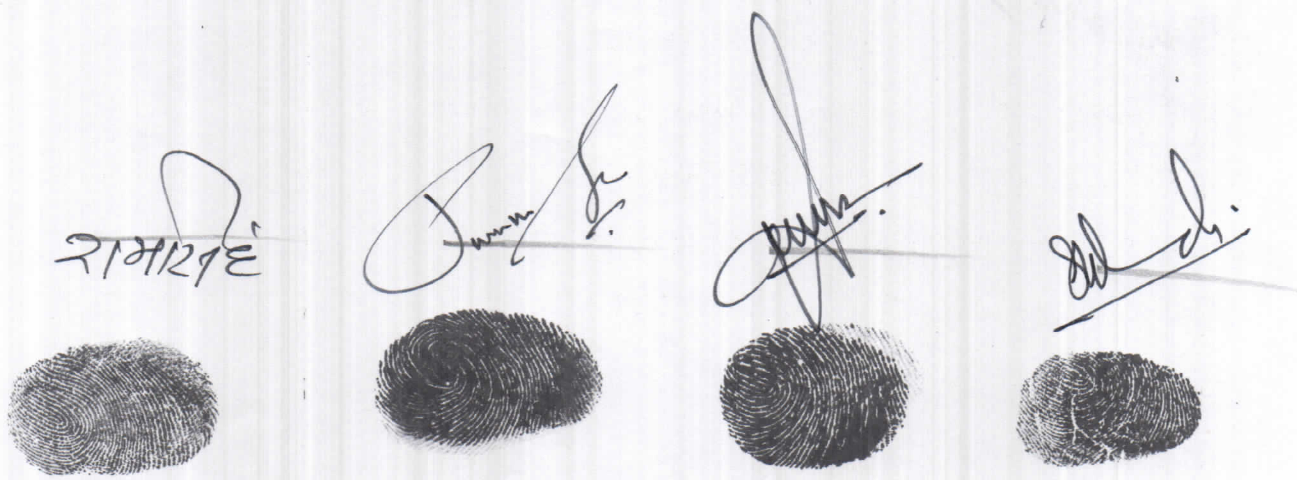

मुकर्रर यह है कि उपरोक्त बैनामा में मु0 65,200/— रूपया e-Stamp Certificate No. IN-UP33961455142601V स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

गवाह (1) — श्री संजीव कुमार पुत्र श्री जसवंत निवासी— 91, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 3134 से की गई है। मो0नं0— 9794532957 (पेशा— कृषि)

गवाह (2) — श्री अनिल गौतम पुत्र श्री राम चरन निवासी— आर0बी0 द्वितीय 508—बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 7849 से की गई है। मो0नं0 7007198185 (पेशा— प्राईवेट नौकरी)

दिनांक — 13—02—2023ई0

प्रारूपकर्ता — राजेश कुमार सिंह, दस्तावेज लेखक, तहसील झांसी
अनुज्ञप्ति सं0 1/2010—11 मो0नं0 9415401278
टाईपकर्ता — दीपक सिंह

राजेश कुमार सिंह
दस्तावेज लेखक तह0—झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या 1 वर्ष 2010/20..
लिया गया शुल्क—
वैधता वर्ष 20[illegible] से 20.[illegible] तक

गवाह (1)

गवाह (2)

श्री संजीव कुमार
पुत्र श्री जसवंत
निवासी- 91, सिमरधा, त0
व जिला झांसी

अनिल गौतम
रामचरन
आर0बी0 द्वितीय 508 बी
रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी
(झाँसी)

एक किता आराजी भूमिधरी
स्थित मौजा सिमरधा
नाम विक्रेता श्री राम सिंह राजपूत
नाम क्रेता श्री पीताम्बरा इन्फ्रा सिटी
चौहादी
पूर्व आराजी नं० - 274,
पश्चिम आराजी नं० - 270,
उत्तर आराजी नं० - 260, 261,
दक्षिण आराजी नं० - 272,

रामसिंह
विक्रेता

क्रेता

941558883

नक्शा –नजरा

बिक्रेता का नाम श्री राम सिंह राजपूत 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित

क्रेता का नाम श्री पीताम्बरा इन्फ्रास्ट्रक्चर एल एल पी समपत्ति के विवरण का मानचित्र

मौजा...सिमरधा............ 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)

तहसील, परगना व जिला झाँसी से प्रदर्शित है।

भूमि नम्बर २६३

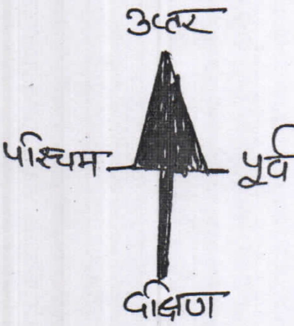

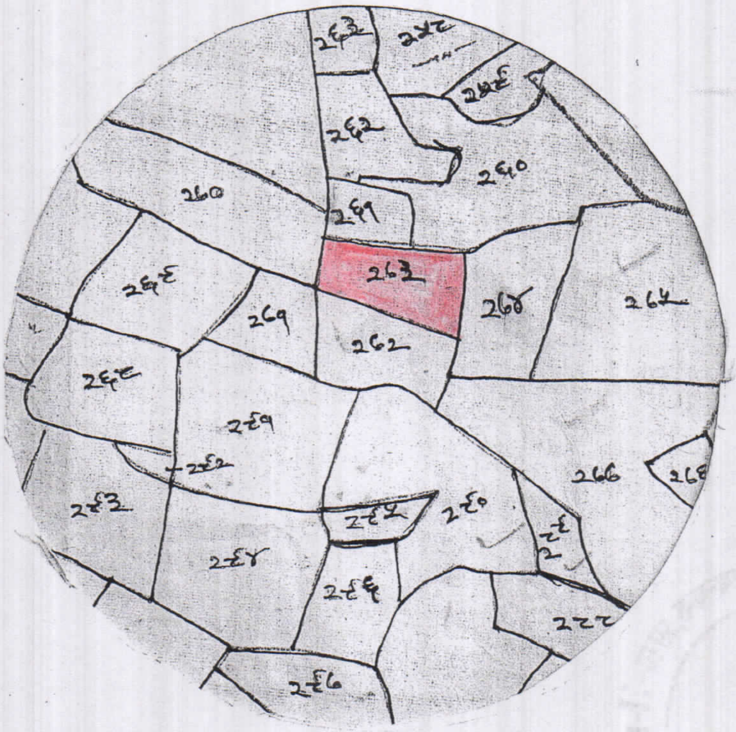

रामसिंह

MOHD. KAMRAN KHAN
OFF/RESI. 19 ALIGOLE
AUTH. D/MAN (CIVIL)
J.D.A., JHANSI
L. No.-27
DATE:-13-2-2023
MOB. No.-9415073360

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

आवेदन सं०: 202300860004615

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10077 के पृष्ठ 229 से 246 तक क्रमांक 1558 पर दिनाँक 15/02/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : सदर द्वितीय
झांसी
15/02/2023

कार्यालय उप निबन्धक सदर-II-झाँसी (उ०प्र०) JHANSI-II-JHANSI (U.P.)

JHANSI (U.P.)

उप निबन्धक झांसी-II (उ०प्र०) ★ JHANSI (U.P.)

JHANSI (U.P.)

JHANSI (U.P.)

श्री अनिल गौतम , पुत्र श्री राम चरन

निवासी: आर०बी० दितीय 508-बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी झांसी

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : सदर द्वितीय
झांसी
15/02/2023

निबंधक लिपिक झांसी
15/02/2023

आवेदन सं०: 202300860004615

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 1558 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री रामसिंह राजपूत, पुत्र श्री खुमान

निवासी: 9, ग्वालियर रोड, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: सेवानिवृत

क्रेता: 1

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा पवन कुमार साहू, पुत्र श्री संतोष कुमार साहू

निवासी: 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 2

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा अमन मदान, पुत्र श्री अवतार सिंह

निवासी: 452/2ए, सी०पी० मिशन कम्पाउण्ड, शहर व जिला झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 3

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा शशिकान्त व्दिवेदी, पुत्र श्री स्व० विशम्भर प्रसाद व्दिवेदी

निवासी: 1054/2ए, खाती बाबा मंदिर, ईसाईटोला, शहर व जिला झांसी

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री संजीव कुमार , पुत्र श्री जसवंत

निवासी: 91, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

आवेदन सं०: 202300860004615

विक्रय पत्र

बही स०: 1 **रजिस्ट्रेशन स०: 1558** **वर्ष: 2023**

प्रतिफल- 850000 स्टाम्प शुल्क- 65200 बाजारी मूल्य - 930000 पंजीकरण शुल्क - 9300 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 9360

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा
पवन कुमार साहू अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री संतोष कुमार साहू
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झांसी

श्री, पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा पवन कुमार साहू अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 15/02/2023
एवं 12:36:30 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक :सदर द्वितीय
झांसी
15/02/2023

निबंधक लिपिक
15/02/2023

SHCIL

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,झाँसी
मण्डल :झांसी , जनपद :झांसी , तहसील :झांसी
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202306370106039
वाद संख्या:- 6039/2023
पीताम्बरा इन्फ्रासिटी बनाम रामसिंह राजपूत
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/06/2023

निर्णय

उक्त नामांतरण वाद सबरजिस्टार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर योजित हुआ। नियमानुसार इश्तहार जारी किये गया जो ग्राम मे मुश्तहरी मुनादी तामील वापिस प्राप्त हुआ। कोई आपत्ति नही आयी। लेखपाल ग्राम की आख्या प्राप्त हुई लेखपाल ने अपनी आख्या मे कहा है कि विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नही है। विक्रीत भूमि संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। ग्राम मे चकवन्दी हो चुकी है। विक्रय की गई भूमि पर क्रेता का कब्जा है। क्रेता के पास 18.75 एकड से अधिक भूमि नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध सभी साक्ष्यो का सम्यक अध्ययन किया गया। अतः साक्ष्यो एवं लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर क्रेता के हक मे नामांतरण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा सिमरधा तहसील व जिला झाँसी की खतौनी बर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 340 के गाटा संख्या 273 रकवा 0.332 हे0 का 1/3 भाग यानि रकवा 0.110 हे0 अपना सम्पूर्ण अंश वय भू0रा060ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार रामसिंह राजपूत पुत्र खुमान निवासी 9, ग्वालियर रोड सिमरधा तहसील व जिला झांसी का नाम खारिज होकर उनके स्थान पर क्रेता पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी पता- जीएस-01, विजन हाईट्स हाउसिंग सोसायटी ओमशांति ग्रीन के सामने राजघाट कॉलोनी के पास, शिवपुरी रोड झांसी द्वारा डायरेक्टर्स पवन कुमार साहू पुत्र संतोष कुमार साहू नि0 91/1, सिविल लाइन, झांसी व अमन मदान पुत्र अवतार सिंह नि0 452/2ए, सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड, झांसी व शशिकान्त द्विवेदी पुत्र स्व. विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी 1504/2ए, खातीबाबा मंदिर ईसाईटोला तहसील व जिला झांसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनॉक 15.02.2023 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। परवाना जारी हो, पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांक- (देवेन्द्र प्रताप)

नायब तहसीलदार

झाँसी।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"